कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250 दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-158/2023 दिनांक-10.05.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बिलरियागंज

लड़की को अगवाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.04.2023 को वादी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि उसकी भतीजी को विपक्षी अजीम पुत्र मुन्ना व आसिफ पुत्र शहनवाज निवासी हसनपुर बाग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गये है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 141/2023 धारा 366 भा0द0वि0 बनाम 1. आसिफ पुत्र शहनवाज निवासी हसनपुर बाग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. अजीम पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था जिसमे पीड़िता की बरामदगी दिनांक 26.04.2023 को की गयी है व वांछित अभियुक्त आसिफ उपरोक्त को आज दिनांक 10.05.2023 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 10.05.2023 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त आसिफ पुत्र शाहनबाज सा0 हसनपुर बाग बिलरियागंज थाना बिलरियागंज आजमगढ को अभियुक्त के घर ग्राम हसनपुर बाग बिलरियागंज से समय करीब 7.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

1. आसिफ पुत्र शहनवाज निवासी हसनपुर बाग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 141/2023 धारा 366/368/120बी भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- रौनापार

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 10.05.2023 को उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सपहा पाठक ग्राम से आगे अंधा मोड से समय करीब 06.55 बजे सुबह एक नफर अभियुक्त पप्पू उर्फ राहुल यादव पुत्र स्व0 लालू यादव ग्राम बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिंदा करतूस .315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 135/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 135/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः- पप्पू उर्फ राहुल यादव पुत्र स्व0 लालू यादव ग्राम बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
बरामदगी- एक अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

चुनाव प्रसार में शराब बांटने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार; 112 पैकेट बन्टी बबली शराब, 28 केन बीयर, दो पहिया व 01 चार पहिया वाहन बरामद

➡ दिनांक- 10.05.2023 को उ0नि0 सतीश कुमार यादव मय हमराह को सूचना मिली कि नगर पंचायत जहानागंज के चेयरमैन प्रत्याशी अपने समर्थक के साथ वाहन संख्या UP14 DH 0283 से कस्बा जहानागंज धरवारा मोड़ निकट अवैध शराब चुनावी लाभ के लिए बाँट रहें है, जिनके द्वारा वर्तमान में लागू चुनाव अचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इस सूचना पुलिस मौके पर पहुँची जहां पर उपरोक्त लाल रंग की वाहन खड़ी थी, गाड़ी में बैठे व्यक्ति उतर कर भागने के फिराक में थे की इतने में एक व्यक्ति को घेरघार के मौके पर गाड़ी सहित पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम विपीन राय उर्फ डमडम पुत्र जयप्रकाश निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष बताया तथा उक्त पकड़े गये व्यक्ति से गाड़ी से उतर कर भागने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो बोला कि साहब जहानागंज

नगर पंचायत से चेयरमैन के प्रत्याशी हैं व उक्त नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहें है तथा इसके द्वारा बताया गया कि साहब मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने हेतु मुझे साथ लेकर घुमघुम कर शराब बाँट रहें हैं तथा पकड़ी गयी वाहन UP14 DH-0283 की तलाशी लिया गया तो वाहन उपरोक्त से देशी शराब 200 ML प्रति पैकेट बन्टी बबली की कुल 80 पैकेट बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से उक्त देशी शराब के सन्दर्भ में विक्रय करने का लाईसेन्स मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहां। इस पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए विपिन राय उर्फ डमडम उपरोक्त को समय 02.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी – 1. 80 पैकेट बन्टी बबली (200 ML प्रति पैकेट)
एक अदद चार पहिया वाहन UP14 DH-0283

पंजीकृत अभियोगः-

1. **मु0अ0सं0 217/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 188/171-E,171F भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़**

गिरफ्तार अभियुक्त 1. विपीन राय उर्फ डमडम पुत्र जयप्रकाश निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह आरक्षी संदीप पाल थाना जहानागंज आजमगढ़
2- उ0नि0 सतीश कुमार यादव का0 आरक्षी राहुल कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

➡ **दिनांक- 10.05.2023 को** उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह को विश्वत सूत्रो से सूचना मिला कि नगर पंचायत जहानागंज के चेयरमैन प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ वाहन संख्या UP 50 AF 7523 सुपर स्पलेण्डर से कस्बा जहानागंज सैयद मोड़ के निकट अवैध शराब चुनावी लाभ के लिए बाँट रहें है, जिनके द्वारा वर्तमान में लागू चुनाव अचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँचकर वाहन सुपर स्पलेण्डर गाड़ी UP 50 AF 7523 के पास तीन लोग खड़े थे, दो व्यक्तियों को पुलिस वालों द्वारा घेरघार के मौके पर गाड़ी सहित पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति अँधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम अभिनेश राय पुत्र स्व0 यदुनाथ राय निवासी बरहतिर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ दूसरे ने अपना नाम किशन कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी समेंदा थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्तियों से उक्त देशी शराब व बीअर के सन्दर्भ में विक्रय करने का लाईसेन्स मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहें। इस पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए अभिनेश राय व किशन कुमार उपरोक्त को समय 02.55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी –

1. 32 पैकेट बन्टी बबली (200 ML प्रति पैकेट)
2. 28 केन मात्रा 14 लीटर बीअर किंगफिशर स्ट्रांग 500 एमएल
3. एक अदद दो पहिया वाहन UP 50 AF 7523

पंजीकृत अभियोगः-

1. **मु0अ0सं0 218/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 188/171-E,171F भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़**

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभिनेश राय पुत्र स्व0 यदुनाथ राय निवासी बरहतिर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़
2. किशन कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी समेंदा थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
2- उ0नि0 उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना जहानागंज आजमगढ़
3- का0 विनोद चौधरी थाना जहानागंज आजमगढ़
4- का0 विजय यादव थाना जहानागंज आजमगढ़